न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2023
(GCMS 2023/179)

बजरंग लाल पुत्र श्री मल्लूराम जाति नाई निवासी वार्ड नं. 03, गांव मम्मड़ खेड़ा तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। पिन–335037 मोबाईल नम्बर 99286–01885

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बजरंग लाल को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 01.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बजरंग लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.08.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. यह कि आवदेक बजरंगलाल पुत्र श्री मलूराम जाति नाई निवासी वार्ड नं. 03 मम्मड़खेडा, 2 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का है, जिसमें नाम से एक घरेलू गैस कनैक्शन है, जिसका कार्ड क्रमांक 3700[illegible]349127 है तथा उपभोक्ता क्रमांक संख्या 7049349127 है [illegible] बीपीएल श्रेणी में आता है तथा जिसका राशनकार्ड बीपीएल क्रमांक 1919434 है [illegible]सका

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पंजीयन महंगाई राहत कैम्प में पंजीयन क्रमांक एमआरसी/2023/837378 है दिनांकित 25.04.2023 को पंजीयन आवेदक द्वारा करवा दिया गया है तथा उक्त पंजीकरण का लाभ जो कि राज्य सरकार द्वारा 500 रूपये की सब्सिडी देय है का आवेदक को कितने बार दिया गया है, **यदि नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया,** इसके जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता, पिता के नाम सहित पूर्ण विवरण सहित उक्त की प्रमाणित सूचना प्रदान करें।

2. यह कि गांव मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में कितने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के कनैक्शन रसद विभाग द्वारा दिये गये है, दिये गये उक्त योजना के ग्राहकों की संख्या कितनी है तथा **उक्त योजना के वितरण की प्रति कनैक्शन सिंगल गैस कनैक्शन का शुल्क की राशि कितनी है तथा डबल गैस कनैक्शन का शुल्क की राशि कितनी है** कृपया उक्त के संबंध में प्रमाणित सूचना प्रदान करें। डबल वाले जिनको दूसरी टंकी दी गई है की सूची व उनसे कितनी राशि ली गई का विवरण प्रमाणित देवें। आवेदक बीपीएल श्रेणी का है जिसका राशनकार्ड सर्वे क्रमांक 1919434 है, की प्रति संलग्न आवेदन पत्र है। आवेदक के आधार कार्ड की प्रति संलग्न है तथा चाही गई सूचनायें आवेदक के डाक पते पर रजिस्ट्रेड डाक से भिजवाई जावे।

लोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला ... अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/आरटीआई/2608 दिनांक 19.09.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। उक्त सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नहीं है। अतः आरटीआई की धारा 2च में सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

-sd-
(रीना)आर.ए.एस.
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:46 IST
Reason: SelfAttested